आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय,
महाप्रबंधक(कार्मिक)

सं0: MCF/RBL/S. Club. Election/2023 दिनांक: 08.05.2023

सामान्य दिशानिर्देश

विषयः—सुपरवाईजर क्लब (भगत सिंह क्लब), प्रबंधक समिति निर्वाचन—2023 के लिए आरेडिका रायबरेली से नामांकित कर्मचारी प्रतिनिधियों के लिए सामान्य दिशानिर्देश।

सुपरवाईजर क्लब (भगत सिंह क्लब), प्रबंधक समिति निर्वाचन—2023 के लिए आरेडिका रायबरेली से नामांकित कर्मचारी प्रतिनिधियों को मतदान से पूर्व एवं मतदान की तिथि 20.05.2023 (सायं) तक चुनाव आचार संहिता के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

1. समस्त नामांकित कर्मचारी प्रतिनिधि अपने एक—एक अधिकृत प्रतिनिधि (एजेंट) का चयन करके अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 16.05.2023 तक उपलब्ध करवाएँ। जिसमें अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पदनाम, कर्मचारी संख्या, एक फोटो और पहचान पत्र संलग्न करें।

2. उम्मीदवारो को सूचित किया जाता है कि चुनाव प्रचार के अंतर्गत दीवार पर लिखना, होर्डिग, बैनर व पोस्टर आदि का प्रयोग न करें।

3. चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान आवासीय परिसर में लाउड स्पीकर, मोटर साईकिल रैली, टार्च रैली, पुतला जलाना एवं जश्न इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

4. चुनाव प्रचार के समय आवासीय परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर सभा/संगठित पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

5. चुनाव जारी होने के पश्चात् चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः संबंधित प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि चुनाव प्रचार में केवल हैंड बिल का ही प्रयोग करें।

6. चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य प्रत्याशी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें। केवल शालीन भाषा का ही प्रयोग करें।

7. मतदान हेतु आए हुए प्रत्येक मतदाता को रेल विभाग से निर्गत अपना कर्मचारी पहचान पत्र, उम्मीद कार्ड एवं कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।

8. सभी सम्मानित सुपरवाईजर सदस्यों से अनुरोध है कि निर्वाचन के दिन मतदान केंद्र TTC/MCF परिसर से बाहर ही (बाउण्डरी बॉल से) पोलिंग/पंडाल बूथ बनायें।

9. कर्मचारी प्रतिनिधि, सुपरवाईजर क्लब अपने पक्ष मे मत प्राप्त करने हेतु मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नकद या तरह (Cash or kind) का उपयोग नही करेगें। मतदान प्रचार में शराब बांटने से सभी कर्मचारी प्रतिनिधि दूर रहेगें।

10. मतदान केन्द्र एवं मतदान पंडाल में धूम्रपान वर्जित है।

11. मतदान केन्द्र पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चो, मंदिरो और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

13. हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे कर्मचारी प्रतिनिधि और प्रत्याशी उनकी कर्मचारी प्रतिनिधि या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा।

14. मतदान समाप्त (सायं) होने तक आचार संहिता लागू रहेगा।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

08/05/23

(डी.एस.मीना)
निर्वाचन अधिकारी, सुपरवाईजर क्लब
आरेडिका, रायबरेली

प्रतिलिपिः सूचनार्थ।

1. अध्यक्ष सुपरवाईजर क्लब, आरेडिका, रायबरेली।
2. उप अध्यक्ष सुपरवाईजर क्लब, आरेडिका, रायबरेली।
3. उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, आरेडिका, रायबरेली।
4. PS to PCPO, आरेडिका, रायबरेली, कृपया MCF की Website पर अपलोड करें।
5. समस्त नामांकित सुपरवाईजर क्लब, आरेडिका, रायबरेली।
6. सदस्य सुपरवाईजर क्लब, आरेडिका, रायबरेली नोटिस बोर्ड।
7. पीठासीन, मतदान एवं मतगणना अधिकारी, आरेडिका, रायबरेली।

आरेडिका / रायबरेली